न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423266

GCMS NO.-2003/00049

मिसल नम्बर–400 / 2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन लाल पुत्र सुन्दर दास
2. धनराज पुत्र संगत राय जाति– खत्री निवासीगण कोटा

–अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.सरकार पैरोकार

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम सकतपुरा में खसरा नम्बर 47 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर मिन 85 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर मिन 111 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 04 बीघा 04 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए नम्बर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 186 / 604 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.93 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व के रकबे 04 बीघा 04 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.67 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के खाते 0.26 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 83 रकबा 0.29 है0 में से 0.26 है0 भूमि वाके ग्राम सकतपुरा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, कोटा)

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 186/604 रकबा 0.02 है0, आराजी शकुंतला देवी पत्नी धर्मचन्द जैन जाति महाजन साकिन झालावाड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, तथा खसरा नम्बर 184 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.05 है0 तथा खसरा नम्बर 219 रकबा 0.01 है0 नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान में प्लानिंग कटी हुयी है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी में से अधिकांश खसरा नम्बर वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्लानिंग कट चुकी है। हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
उपखण्ड अधिकारी
को..